परियोजना प्रभावित जनता का पुनर्वास और पर्यावरण संबंधी कार्यों सहित अनिवार्य परियोजना कार्यों से संबंधित है।

(ख) पुनर्वास कार्यों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान नये टिहरी टाऊन और पुनर्वास कॉलोनी सहित 64.92 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ग) 1997-98 तक मुख्य बांध सुरंगों और विद्युत कार्यों पर 600.54 करोड़ रुपये के राशि का व्यय किया गया।

(घ) परियोजना पर विद्यामान वार्षिक स्थापना व्यय 18.06 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है जो कि 1997-98 में किए गए व्यय पर आधारित है।

Clearing of Power Projects

3146. DR. MAHESH CHANDRA SHARMA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the Central Government are considering to raise the limit of Rs. 1.000 crores for sanctioning the projects by the State Governments without referring it to be Central Government (Central Electricity Authority) for techno-economic clearances; and

(b) when the private sector power projects are considered based on competitive bidding for price than what will be the procedure of Central Electricity Authority in clearing such power projects?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) Power projects of private generating companies costing up to Rs. 100 crores (in case of projects awarded through Memorandum of Understanding/Letter of Intent, etc. route) and costing up to Rs. 1.000 crores (in case of projects awarded through competitive bidding) do not have to obtain techno-economic clearance of the Central Electricity Authority and can be cleared by the concerned State Government/State Electricity Board.

(b) The Central Electricity Authority, while considering accord of techno-economic clearance to competitively bid projects, is guided by the relevant sections of the Electricity (Supply) Act, 1948 and the procedure prescribed by the State Electricity Boards in their bidding documents. Government of India has brought out a Notification for award of thermal power projects through competitive bidding in May 1997.

उड़ीसा में विद्युत क्षेत्र में सुधार

3147. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिजली क्षेत्र में सुधार अभियान के तहत् उड़ीसा में 1992 से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस सुधार अभियान के तहत निजी क्षेत्र को बिजली के उत्पादन और ट्रांसमिशन आदि क्षेत्र में शामिल किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि आज उड़ीसा में बिजली उत्पादन राज्य में बिजली की खपत से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर उड़ीसा में बिजली क्षेत्र में अपनायी गयी नीति से भिन्न जिला नीति बनाने पर विचार किए जाने के क्या कारण है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा सरकार निजी क्षेत्र को विद्युत के उत्पादन और वितरण के लिए विद्युत संयंत्रों की स्थापना किए जाने हेतु प्रोत्साहित करती रही है। पारेषण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र शामिल नहीं है।

(ग) उड़ीसा में विद्युत का उत्पादन इसकी खपत से कम है, हालांकि केन्द्रीय स्टेशनों में उड़ीसा के हिस्से सहित विद्युत की उपलब्धता राज्य में खपत से कहीं अधिक है।

(घ) केन्द्र सरकार ने टैरिफों के यौक्तिकरण तथा उससे संबंधित मामलों के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्यों में राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना के लिए विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 लागू किया है। यह अधिनियम राज्य विद्युत क्षेत्र की पुनर्संरचना के लिए